उत्तराखण्ड शासन
344978 वित्त अनुभाग–1
संख्या : /E-86228/XXVII(1)/2025
देहरादून : दिनांक : 17 नवम्बर, 2025

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 128975/XXVII(1)/2023 दिनांक 12.06.2023 के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत निमार्ण कार्य हेतु उपयुक्त स्थल के चयन के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्थल चयन समिति (Site Selection Committee) का गठन किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2– तद्क्रम में पेयजल विभाग की ई–पत्रावली संख्या : 94031 के माध्यम से प्राप्त संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त पेयजल विभाग के अन्तर्गत पेयजल संरचनाओं को निर्मित करने हेतु जहां–जहां तकनीकी रूप से उपयुक्त भूमि सरकारी हो अथवा निःशुल्क प्राप्त हो रही हो, उन स्थानों पर स्थल चयन समिति की आख्या प्राप्त किए जाने की बाध्यता से शिथिलीकरण प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उपरोक्त के फलस्वरूप संबंधित प्रोजेक्ट के संबंध में स्थल की उपादेयता से संबंधित सभी बिन्दुओं/कारकों यथा, प्रस्तावित स्थल की भौगोलिक स्थिति, आबादी क्षेत्र से दूरी, विद्युत उपलब्धता, संबंधित लाभार्थियों तक पहुंच/सुविधा, स्थल के स्थायित्व एवं भविष्य की आवश्यकता इत्यादि के संबंध में उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग एवं संबंधित कार्यदायी संस्था का होगा।

4– प्रशासकीय विभाग एवं संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तावित भूमि के संबंध में कोई विवाद न होने एवं अतिक्रमण से मुक्त होना आदि सुनिश्चित कर लिया जाएगा।

5– परियोजना हेतु विभागीय अथवा नगरीय/ग्रामीण निकायों के नियंत्रणाधीन सिविल भूमि को प्राथमिकता दी जाएगी किन्तु सिविल भूमि उपलब्ध न होने अथवा मानकों के अनुसार उपयुक्त न होने की दशा में मानकानुसार उपयुक्त वन भूमि के हस्तान्तरण अथवा निजी भूमि के अर्जन के संबंध में उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12.6.2023 के अनुसार स्थल चयन समिति की संस्तुति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

6– इस सम्बन्ध में उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 12.06.2023 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

Digitally signed by
Dilip Jawalkar
Date: 14-11-2025
15:42:08
(दिलीप जावलकर)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।

3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, देहरादून उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. संबंधित विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन निर्माण एवं विकास निगम, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

(दिलीप जावलकर)
सचिव।